0k"kZ % 40(vad % 03 (ekpZ % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

मजदूरों का संयुक्त सत्याग्रह और गिरफ्तारियाँ

(रिपोर्ट पृ० 08)

पश्चिम बंगाल

कोलकाता में संयुक्त जुलूस

हुगली में पुलिस की घेरेबंदी को तोड़ते हुए

मजदूरों का संयुक्त सत्याग्रह और गिरफ्तारियाँ

आंध्रप्रदेश

तमिलनाडु

ओडिशा

राजस्थान

हरियाणा

पंजाब

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk

e[ki=

मार्च 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

बजट 2018– 19 एक नवउदारवादी रूपरेखा –जे एस मजुमदार 5

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त कार्यक्रम 8

ई पी एफ ओ के सी बी टी की बैठक 10

उद्योग व क्षेत्र 12

राज्यों से 20

किसानों–मजदूरों की एकजुटता 24

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

मजदूरों और जनता के बीच तत्काल तालमेल बने

नवंबर में संसद पर महापड़ाव में एक लाख से ज्यादा मजदूरों की भागीदारी सहित, पिछले 4 महीनों के दौरान, मजदूर देशव्यापी संयुक्त अभियान और आंदोलन में रहे हैं; जनवरी–फरवरी में देशभर में सत्याग्रह और गिरफ्तारियाँ; 17 जनवरी को योजना मजदूरों की व्यापक हड़ताल सहित अलग–अलग क्षेत्रों के मजदूरों की हड़तालें और बड़े पैमाने पर संघर्ष; इनमें प्रमुख हैं; वे आने वाले संघर्ष और आम हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। इस अवधि में देशभर में जारी जुझारू एकजुट किसान आंदोलन भी देखने को मिला है।

फिर भी, मोदी सरकार ने नव–उदारवादी एजेंडे को लागू करने की अपनी आक्रामकता में थोड़ी सी भी कमी नहीं की है बल्कि इसके विपरीत मजदूरों और जनता पर जनपक्षीय मुद्दों की आड़ में और धोखा देकर इस आक्रामकता में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि के दौरान आने वाले हमलों का एक पूरा खाका केंद्रीय बजट 2018–19 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। रोजगार सृजन की आड़ में संगठित क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में भी स्थायी रोजगार की जगह निश्चित अवधि के रोजगार को शुरू किया गया है। 50 करोड़ जनता के स्वास्थ्य कवरेज की आड़ में, सरकार की सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बीमा, अस्पताल और चिकित्सा व्यवसाय को घरेलू और विदेशी कॉरपोरेटस् की त्रिमूर्ति को केंद्र और राज्य सरकारों की सभी मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को सौंपा जा रहा है। इसी तरह, कृषि उत्पादों के लिए लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर एमएसपी के नाम पर, मूल्य की गणना में घपला करके, सरकारी खरीद के स्थान पर निजी बाजारी ताकतों के पक्ष में शरारत की जा रही है।

इस अवधि के दौरान सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र को खत्म करने और कोयला, इस्पात, रक्षा, बिजली, बैंकिंग, रेलवे, बंदरगाह और डॉक, ड्रेजिंग, एयर इंडिया आदि जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण का अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र में सभी प्रकार के मूल्य प्रतिबंध और राहतें वापस ले ली गयी हैं।

भाजपा शासन में घोटालेवाजों की संख्या में वृद्धि और देश से उनका आसानी से भाग जाना भी देखने में आया है। इसे कर्ज प्राप्तकर्ताओं के नाम के खुलासे के बिना ही असीमित राजनीतिक फण्ड के लिए कानून में संशोधन की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

इन सभी से, ट्रेड यूनियनों के विरोध, प्रतिरोध, कार्यवाही कार्यक्रमों और आम मजदूरों और जनता की समझ के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से नजर आता है। समझ की इस दूरी को, केवल सीटू और उसकी यूनियनों के हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा ही, मुद्दों, संबंधित नीति और राजनीति को जोड़कर मजदूरों को समझाकर ही पाटा जा सकता है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर ट्रेड़ यूनियनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं व जनता के बीच एक जीवन्त कड़ी बनाने की जरूरत है। यह एक गंभीर संगठनात्मक मुद्दा है जिसे अभी तक हमारे देश के विशाल हिस्से में विकसित किया जाना है। मोदी सरकार और उसके तरफदारों का मुकाबला करने के लिए, सीटू की इकाइयों और यूनियनों को इस नेटवर्क को विकसित करने के लिए तत्काल ध्यान देकर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

शोक संवेदना

कॉमरेड मोहम्मद अमीन

सीटू ने अपने अनुभवी नेता और देश के मजदूर वर्ग के आंदोलन के नेता कॉमरेड मोहम्मद अमीन के निधन पर अपने गहरे दुःख का इजहार और आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए नई दिल्ली स्थित अपने अखिल भारतीय केन्द्र, बी टी आर भवन पर तीन दिन तक झंडा झुकाये रखा। कॉमरेड अमीन का निधन 12 फरवरी, 2018 को कोलकता में हुआ वे 89 वर्ष के थे। अमीन सीटू के संस्थापक सदस्य थे और संगठन के महासचिव भी रहे थे।

एक मजदूर परिवार में जन्मे, कॉमरेड मोहम्मद अमीन 14 वर्ष की उम्र में पश्चिम बंगाल में एक जूट मजदूर के रूप में काम करने लगे थे और कारखाने में ट्रेड यूनियन संघर्षों में शामिल होने लगे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह किया।

वे, सचिव व उपाध्यक्ष सहित कई दशकों तक सीटू के अखिल भारतीय पदाधिकारी रहे। 2007 से 2010 तक सीटू के महासचिव थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल व देश में जूट, परिवहन व कई अन्य उद्योगवार फेडरेशनों का नेतृत्व भी किया था। इस लम्बी समयावधि में उन्होंने देश के मजदूर वर्ग के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण व नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी।

कॉमरेड मोहम्मद अमीन 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और लम्बी–लम्बी अवधि तक जेल में रहे। वे पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य के रूप में सी पी आइ (एम) के सर्वोच्च निकाय तक पहुँचे थे और एक अनुभवी नेता के तौर पर जिन्दा रहने तक पार्टी की केन्द्रीय समिति के विशेष आमन्त्रित सदस्य रहे।

कॉमरेड मोहम्मद अमीन उर्दू भाषा के कवि थे और उन्होंने कई किताबें लिखी। उनका जीवन प्रतिबद्धता, सादगी व साहस का उदाहरण था।

सीटू ने उनके साथियों व परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना का इजहार किया है।

बजट 2018–19 : एक नवउदारवादी रूपरेखा

जे. एस. मजुमदार

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी को, 2018–19 के केन्द्रीय बजट को 'रोजगार सृजन' देश के 50 करोड़ लोगो को स्वास्थ्य सुरक्षा व किसानों को बड़ी राहत' के बजट के रूप में पेश किया। विपक्ष ने इसे एक चुनावी 'जुमला' करार दिया है।

नवउदारवादी सुधारों का बजट

निःसंदेह, वित्तमंत्री का बजट भाषण अगले लोक सभा चुनावों के लिए था जिसमें चुनावी प्रचार के लिए ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन किया गया था। लेकिन, केन्द्रीय बजट 2018–19, लोकप्रिय मुद्दों की आड़ में बड़े कदमों वाले नवउदारवादी सुधारों की पूरी रूपरेखा भी है; तथा संघवाद को कमजोर कर कारपोरेटों के पक्ष में देश के बाजार को एक बनाने की ओर एक कदम है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' के मामले में ऊंची वरीयता हासिल करने के लिए स्वंय ही अपनी प्रशंसा करने के बाद; यह बजट 'ईज ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन मैन' के लिए पेश किया गया है। अरूण जेटली के भाषण की बांटी गयी प्रति में एक मुद्रण की गलती है। 'ईज ऑफ लिविंग' के स्थान पर इसमें छपा है 'ईज ऑफ लीविंग'। जो एकदम ठीक है, क्योंकि कारपोरेटों के पक्ष में बड़े पैमाने पर नवउदारवादी श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने के क्रम में बजट ''ईज आफ लीविंग'' एम्पलायमेंट की रूप–रेखा सामने रखता है।

संगठित क्षेत्र में 'तय समय के रोजगार' की शुरूआत

बजट भाषण में, मोदी सरकार द्वारा बीते तीन वर्षों में उठाये जा चुके कदमों के आधार पर इस वर्ष 70 लाख 'औपचारिक रोजगार' सृजित करने का दावा किया गया है। और 'औपचारिक रोजगार' सृजन की ''इस गति को आगे बढ़ाने के लिए'' बजट में 'सभी सैक्टरों में 'तय समय के रोजगार' का प्रस्ताव किया गया है।''

इस बजट प्रस्ताव का आधार तैयार करने के लिए, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमों में संशोधन के मसविदे पर 'सभी सैक्टरों में तय समय के रोजगार' की शुरूआत करने का प्रस्ताव करते हुए 30 दिन की जनसूचना के बाबत एक गजट अधिसूचना 8 जनवरी, 2018 को जारी की गयी।

'सभी सैक्टरों में 'तय समय के रोजगार' के इस प्रस्ताव में, सरकार द्वारा ई पी एफ अंशदान के रूप में 3 वर्ष तक प्रत्येक नये कर्मचारी को वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन नियोक्ताओं को देने का अतिरिक्त प्रस्ताव भी किया गया है।

ये दोनों प्रस्ताव कारपोरेटों को स्पष्ट संदेश देते हैं कि सेवानिवृत्ति की उम्र तक के 'नियमित रोजगार' को उद्योग व सेवाओं के सभी क्षेत्रों में 3 वर्षों के लिए 'तय अवधि वाले रोजगार' में बदला जायेगा; और इसके लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देगी। यह है मोदी सरकार द्वारा तैयार रोजगार सृजन का मॉडल।

केन्द्रीय श्रममंत्री ने सभी क्षेत्रों में 'तय समय के रोजगार' के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार, नियोक्ता संगठनों व ट्रेड यूनियनों की एक त्रिपक्षीय बैठक 15 फरवरी को बुलाई। आर एस एस से संबद्ध बी एम एस को छोड़कर शेष सभी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने श्रममंत्री को एक ज्ञापन दिया और 'तय समय के रोजगार' के सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए व बजट के माध्यम से मुद्दे को पहले ही संसद में पेश कर इस बैठक को मात्र एक औपचारिकता बनाने का विरोध करते हुए बैठक से बहिर्गमन कर दिया।

ई पी एफ के मुद्दे पर बंगलौर में वस्त्र उद्योग, खासतौर पर महिला मजदूरों द्वारा भारी पैमाने पर विरोध के बाद, सरकार ने पहली बार, वस्त्र व फुटवियर उद्योगों में 'तय समय के रोजगार' की शुरूआत की थी। तब ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध किये जाने पर, सरकार ने स्पष्ट किया था कि वस्त्र व फुटवियर उद्योग मौसमी प्रकृति के है; रोजगार 'कैजुअल' है और उद्योग असंगठित है। अब सरकार इसका सभी सैक्टरों तक विस्तार कर रही है जिनमें स्थायी रोजगार वाले नियमित कर्मचारियों

को काम पर रखने वाला संगठित क्षेत्र भी शामिल है। द् इकॉनमिक टाईम्स ने 2 फरवरी को इस खबर को छापते हुए इसका शीर्षक इस तरह बनाया ''हायर एंड फायर : रोजगार सृजन के लिए बढ़ावा।''

स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण

बजट भाषण में दो स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की घोषणा मोदी सरकार के ''महत्वपूर्ण'' कार्यक्रमों के रूप में की गयी । एक प्रस्ताव है, विस्तृत स्वास्थ्य देखभाल व हमारे लोगों की विशाल संख्या को ''मुफ्त आवश्यक दवायें व डायगोनॉस्टिक सेवायें'' प्रदान करने के लिए; मात्र 1200 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ देश भर में 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों को 'हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स' (एच डब्लू सी) का नाम दिया जाना है! एच डब्ल्यू सी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली इन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कौन करेगा ?

बजट भाषण कहता है, ''3 हजार से ज्यादा जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से 800 से ज्यादा दवाओं को कम दाम पर बेचा जा रहा है।'' जन औषधि केन्द्रों को 2008 में तब की मनमोहन सिंह सरकार ने स्थापित कर 2008 में ब्यूरों ऑफ फार्मा पी एस यू ऑफ इंडिया (बी पी पी आइ) बनाया था जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स व सार्वजनिक क्षेत्र की 5 दवा कंपनियों– इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्टूरिकल्स लिमिटेड (आइ डी पी एल), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल), बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बी के पी एल) तथा राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आर डी पी एल)–जिसका मुख्यालय गुंडगांव स्थित आई डी पी एल कार्यालय में था और जो 2010 में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत थी, को ''जन औषधि स्टोरों के नेटवर्क के जरिये जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति, कीमत निर्धारण व बिक्री की देख–रेख का जिम्मा था। मोदी सरकार की स्वास्थ्य नीति 2017 कहती है, ''कुछ आवश्यक दवाओं व टीकों के निमार्ण के बारे में, दूरगामी स्तर पर देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता भी आवश्यक है।'' लेकिन, इसी मोदी सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मा कंपनियों को बेचने का पहले ही एलान कर दिया है। इस प्रकार, मुफ्त दवाओं की आपूर्ति का प्रस्ताव, 1.5 लाख प्रस्तावित एच डब्ल्यू सी' के माध्यम से निजी क्षेत्र के दवा बाजार के विस्तार के लिए है।

दूसरा प्रस्ताव 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एन एच पी एस) का हैं जिसमें 10 करोड़ गरीब व नाजुक स्थिति वाले परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 'द्वितीय व तृतीय श्रेणी की भर्ती' के लिए 5 लाख रूपये तक बीमा कवर प्रदान किया जाना है।

एन एच पी एस की आलोचना का केन्द्रबिन्दु आवंटन व मोबीलाइजेशन में 'पैसा कहाँ है' का है। बजट भाषण में केवल यह कहा गया है कि ''इस कार्यक्रम के सुगम कार्यन्वयन के लिए जरूरी धनराशि प्रदान की जायेगी।'' पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने हिसाब लगाया है कि बीमा प्रीमियम की 1 से 3 प्रतिशत की दर से योजना के लिए प्रतिवर्ष 50.000 से 1.5 लाख करोड़ रूपये की जरूरत होगी और इस तरह इसे लागू न की जा सकने वाली बताया है।

लेकिन, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने के मोदी सरकार के संकल्प को कम करके आंकना गलत होगा। प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय श्रेणी स्वास्थ्य देखभाल के दोनों ही प्रस्तावों का साझा लक्ष्य निजीकरण तथा राज्य की मौजूदा स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को समाहित कर समूची स्वास्थ्य सेवाओं का देशव्यापी एकीकरण कर धनराशि आवंटन को 60:40 में बांटने का है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्व सचिव सुजाता राव ने एकदम ठीक कहा है, ''एन एच पी एस एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है : सेवा प्रदाता से बदलकर एक वित्त मुहैया कराने वाले के रूप में राज्य की भूमिका की परिभाषा में निर्णायक बदलाव।'' (इंडियन एक्सप्रेस, फरवरी 13, 2018)। और फाइनेंन्सिंग किसकी ?– जाहिर है कारपोरेट अस्पतालों व निजी बीमा कंपनियों की।

इकॉनामिक टाइम्स की 2 फरवरी की खबर के अनुसार अपोलो अस्पताल की प्रबंध निदेशक सुनीता रेडडी ने टिप्पणी की कि, ''हमें इससे बड़ी ताकत मिलेगी। वर्तमान, बीमा योजनायें चलने लायक नहीं थीं, लेकिन कवर में वृद्धि के साथ, में समझती हूँ कि हमारे राज्य प्रोयोजित योजनाओं के मरीजों में बढ़ोतरी होगी।

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन (डी आइ पी पी) द्वारा जारी आंकड़े दिखाते हैं कि 2000 से 2017 के बीच अस्पतालों व डायगोनॉस्ट्रिक केन्द्रों ने 4.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 के अनुसार निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत परिवारों के लिए व ग्रामीण क्षेत्रों में 63 प्रतिशत परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा का प्राथमिक स्त्रोत है। भारी मात्रा में एफ डी आई के साथ निजी क्षेत्र अस्पतालों की यह बढ़ती संख्या का निश्चित ही एक बढ़ता बाजार होगी। इसके साथ–साथ निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जेब से होने वाले भारी

खर्च के चलते कितने ही परिवारों को भारी खर्च करना पड़ा है। इसे भी किसी हद तक देखना होगा। एन एच पी उस इसी के लिए है।

नये विनेश की चाहत में सरकार ने 2016 में बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 49 प्रतिशत एफ डी आइ की मंजूरी के लिए एफ डी आइ नियमों में ढ़ील दी थी। यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया को 2017 में विनिवेश के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस वर्ष के बजट में तीन बीमा कंपनियों–नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विलय तथा उसके बाद उनके विनिवेश का प्रस्ताव किया गया है।

मनमोहन सिंह सरकार पहले ही ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (न्यू वैंचर्स) में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आइ की और ब्राऊनफील्ड प्रोजेक्ट्स (मौजूदा कंपनियों) के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफ आइ पी बी) के द्वारा मंजूरी के तहत इजाजत दे दी थी। वे विदेशी दवा कंपनियां जो नवउदारवाद पूर्व/शुरूआती नवउदारवादी चरण में भारत को छोड़ गयी थीं, एफ डी आइ के ब्राऊनफील्ड रूट के माध्यम से वापिस आनी शुरू हो गयी हैं।

बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के टेक ओवर की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से फार्मस्यूटिकल्स में ब्राउनफील्डस में 74 प्रतिशत एफ डी आई की इजाजत देकर एक और कदम उठाया है।

अस्पतालों, बीमा और दवा निमार्ण बिजनेस कारपोरेटों की तिकड़ी को अच्छी खासी विदेशी पूंजी के साथ एक अनुशाषित, एकीकृत व अखिल भारतीय बाजार प्रदान करना होगा। एन एच पी उस इसी के लिए है, न केवल इस वित्त वर्ष के लिए बल्कि हर आने वाले वर्ष के लिए। बस यह मत पूछिये कि 'पैसा कहाँ है।' यह नवउदारवाद है।

इस बजट में ऐसे नवउदारवादी रूपरेखा वाले और भी क्षेत्र हैं।

चिंताजनक स्तर पर पहुँचा दरबारी पूंजीवाद

सी पी आइ (एम) का पोलिट ब्यूरो इस भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के राज में दरबारी पूंजीवाद के चिंताजनक स्तर पर पहुँच जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। एक के बाद एक उनके चुनिंदा कारपोरेटों को, जनता के पैसे की धोखाधड़ी कर और व्यवस्था में गड़बड़ी कर, देश के कानून की गिरफ्त में आने से पहले ही देश से बाहर भागने दिया जा रहा है। नीरव मोदी द्वारा किया गया घोटाला इसका ताजा उदाहरण है।

सरकार यह नहीं बता रही कि इस व्यक्ति को उस स्थिति में कैसे देश से बाहर जाने दिया गया, जब उसके द्वारा किये गये अपराध की एफ आइ आर होने जा रही थी और इसके बाद वह डावोस विश्व आर्थिक शिखर बैठक में प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने आ गया। इस मामले की पूरी जाँच कराने की आवश्यकता है।

हर्षद मेहता या केतन पारेख के वित्तीय फर्जीवाड़े के पिछले मामलों में, संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किया गया था और तब के वित्त मंत्री ने इन समितियों के समक्ष गवाही दी थी तथा दुरूस्ती के कदम उठाये गये थे। वर्तमान मामले में भी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिये तथा उसके सामने वर्तमान वित्तमंत्री से सभी प्रासंगिक प्रश्नों के जवाब लिये जाने चाहियें।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वे कौन से उद्योगपति हैं जिनके 2 लाख करोड़ रूपये के वापिस नहीं लौटाये गये कर्जे संसद में दिये गये बयान के मुताबिक माफ किये गये हैं। प्रधानमंत्री को उन उद्योगपतियों की सूची भी पेश करनी चाहिये जो सरकारी खर्चे पर उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाते हैं। इन नामों का छुपाया जाना यही दिखाता है कि सत्ताधारी दल के नजदीकी कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने वाला दरबारी पूंजीवाद किस हद तक पहुँच गया है। यह पूरी तरह से निंदनीय व अस्वीकार्य है।

{सी पी आइ (एम) पोलिट ब्यूरो के 21 फरवरी के बयान से}

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त कार्यक्रम

देशव्यापी संयुक्त सत्याग्रह आन्दोलन

10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आहवान के प्रत्युत्तर में मजदूरों ने कई राज्यों में गिरफ्तारियां देने सहित देशव्यापी संयुक्त सत्याग्रह किया। इस संबंध में सीटू केन्द्र को प्राप्त कुछ संक्षिप्त रिपोर्टें यहाँ दी जा रही हैं।

केरल

7 फरवरी को, कई जिलों में मजदूरों ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों की ओर मार्च किया और प्रदर्शन किया। तिरूवनंतपुरम में महालेखाकार के दफ्तर के बाहर हुए आंदोलन का उद्धाटन सीटू के राज्य अध्यक्ष अनंथलावत्तम आनंदन ने किया। बाकी सभी जिलों में आंदोलन का उद्घाटन ट्रेड यूनियनों के विभिन्न नेताओं ने किया। एरनाकुलम में के. चन्द्रन पिल्लै, कोझिकोड़ में पी नंद कुमार व कन्नूर में के पी सहदेवन ने उद्घाटन किया।

तिरूवनंतपुरम में 3000, कोल्लम में 2300, पथानमथिट्टा में 3500, अलापुझा में 1652, कोट्टायम 3000, एरनाकुलम 2200, त्रिशूर 2500, मलापुरम 2300, पलक्कड़ 3100, कोझिकोड 2500, वायनाड (तीन केन्द्रों में) 1050, कन्नूर में 2050 तथा कासरगोड में 1050 मजदूरों ने सत्याग्रह में भाग लिया।

आंदोलन की सफलता के लिए अभियान चलाया गया। सभी जिलों में संयुक्त ट्रेड यूनियन कन्वेंशन किये गये। प्रचार के लिए पोस्टर, नोटिस, बैनर, डिस्प्ले बोर्ड आदि का प्रयोग किया गया।

तमिलनाडु

सीटू, एटक, एल पी एफ, एच एम एस, एक्टू, ए आइ यू टी यू सी व इंटक के राज्य नेताओं की एक संयुक्त बैठक में 25 जनवरी को तमिलनाडु में जेल भरो कार्यक्रम करने का फैसला करते हुए तथा कार्यक्रम की तैयारी की योजना बनायी गयी।

इसके अनुरूप, सभी जिलों में, त्रिची ग्रामीण को छोड़कर, संयुक्त बैठके हुई; त्रिची व चेन्नई में राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुए; सभी यूनियनों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक बैठक 28 दिसम्बर को त्रिची में हुई; लगभग सभी जिलों में परचों, पोस्टरों व सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाया गया। 27 जिलों में हुए जिला स्तरीय कन्वेंश्नों में 4927 कार्यकर्ता शामिल हुए जिनमें बहुमत सीटू का था; संयुक्त समिति द्वारा 9471 पोस्टर लगाये गये, 2 लाख परचे बांटे गये 63 फ्लैक्स बैनर लगाये गये।

सभी जिलों के 82 केन्द्रों में जेल भरों कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पिकेटिंग में कुल 27,487 मजदूरों ने भाग लिया इनमें कांचीपुरम में 2600, चेन्नई दक्षिण में 2000; कोयम्बटूर में 1557; कुडड्ालोर में 1500; ईरोड में 800; मदुरै ग्रामीण 800; तूतिकोरिन 800; श्रेणी 800; नामक्कल 750; थंजौर 600; पेराम्बलूर 550; धरमपुरी 540 व रामनाद में 500 मजदूर शामिल हुए।

सत्याग्रह में भाग लेने वाले कुल मजदूरों में से 14983 मजदूरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

आंध्रप्रदेश

सीटू, एटक, इंटक, इफ्टू, एक्टू, वाई एस आर टी यू के संयुक्त नेतृत्व में राज्य के 16 में से 14 जिलों में हुए सत्याग्रह में लगभग 10,000 नेताओं व मजदूरों ने भाग लिया जिनमें से 2000 को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रह में सीटू की ओर से 8000, एटक की ओर से 1000, इंटक से 500, इफ्टू से 150, एक्टू से 10 वाई उस आर टी यू से 50 व 50 अन्य ने भाग लिया।

विशाखा शहर में भागेदारी सर्वाधिक थी जहाँ 300 ने सत्याग्रह में भाग लिया।

ओडिशा

जैसा कि संयुक्त रूप से तय किया गया था, राज्य स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन राज्य विधान सभा के सामने हुआ जिसमें राज्य के विभिन्न भागों से आये मजदूरों ने भाग लिया। मजदूरों ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से राज्य विधान सभा तक मार्च निकाला और पुलिस द्वारा लगाये गये अवरोधकों के पास सभा की जिसे सीटू, एटक, इंटक, इफ्टू, एक्टू, ए आइ यू टी यू सी व अन्य के नेताओं ने संबोधित किया। एक बीस सूत्री मांगों का ज्ञापन राज्य सरकार को व उसके माध्यम से प्रधानमंत्री को दिया गया।

पश्चिम बंगाल

राज्य में 20 फरवरी को हुए संयुक्त नागरिक अवज्ञा व गिरफ्तारियाँ देने के आंदोलन में बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। राज्य के कुल 22 जिलों में से 21 में जिला समितियों ने 20 फरवरी को सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया। तीन जिलों में कार्यक्रम एक अधिक केन्द्रो पर आयोजित हुआ। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कार्यक्रम 27 फरवरी को होना तय हुआ।

मोदी सरकार की राष्ट्रविरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संबंधित जिला मुख्यालयों पर हजारों मजदूर पूरे जोश के साथ समय से पहले ही जमा हो गये थे।

21 जिलों में आंदोलन में भाग लेने वाले मजदूरों की संख्या 1 लाख से अधिक थी जिसमें सभी जिलों में 1500 से 6000 के बीच की भागेदारी रही। विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज में 100 से मजदूर घालय हुए। राज्य में उपस्थिति रखने वाली सभी 6 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा बड़ी संख्या में राष्ट्रीय फेडरेशनों ने संयुक्त कार्यक्रम में भाग लिया। वामपंथी दलों ने कार्यक्रम का पूरा समर्थन किया।

हरियाणा

सत्याग्रह व गिरफ्तारी आंदोलन की तैयारी के लिए ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक हुई, सभी 21 जिलों में ट्रेड यूनियन कन्वेंशन किये गये; संगठित व असंगठित मजदूरों के बीच अलग–अलग परचे बांटे गये; संयुक्त व सीटू के स्वतन्त्र पोस्टर लगाये गये। राज्य में सत्याग्रह आंदोलन में 21 सूत्री माँगपत्र दिया गया।

हरियाणा में 30 जनवरी का जेल भरो कार्यक्रम अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। सभी 21 जिलों में हजारों मजदूरों व कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालयों की ओर मार्च किया व उनका घेराव किया। वहाँ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार घोषित कर रिहा किया। लेकिन मजदूरों ने जाने से इंकार किया। इसके चलते पुलिस को मजबूर होकर बसों का प्रबंध करना पड़ा और फिर गिरफ्तार मजदूरों व कर्मचारियों को अस्थायी विशेष जेल ले जाया गया।

इस कार्यक्रम में, महिला मजदूरों की भागेदारी 70 प्रतिशत से अधिक थी। योजना मजदूरों की भागेदारी अभूतपूर्व रही। सत्याग्रह में भाग लेने वाले अन्य मजदूर–कर्मचारियों में बिजली, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्डो, पी डब्ल्यू डी व अन्य विभागों, शिक्षक, निर्माण मजदूर, ग्राम चौकीदारों, ग्रामीण सफाई कर्मी, औद्योगिक मजदूर, ठेका व कैजुअल मजदूर व अन्य शामिल थे।

राजस्थान

सीटू, एटक, इंटक, एच एम एस व राजस्थान सीटू के संयुक्त नेतृत्व में राज्य के हजारों मजदूरों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 31 जनवरी को सारे राज्य में जिला कलेक्ट्रेटों तक मार्च निकाले, प्रदर्शन किये, सभायें की व गिरफ्तारीयाँ दी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ बीकानेर, झंझनू, चुरू, सीकर, जयपुर, कोटा राजसमँद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्राड़ैगढ़, अलवर व भरतपुर में मजदूरों ने प्रभावी रैलियां की व गिरफ्तारी दी।

संयुक्त प्रेस बयान

15 मार्च अखिल भारतीय विरोध दिवस

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की 22 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली स्थित इंटक कार्यालय में हुई बैठक में लोगों के जीवन व जीविका पर हमला तेज करने व राष्ट्रीय हितों के साथ गंभीर समझौता करने के लिए मौजूदा सरकार की घोर भर्त्सना की गयी।

मजदूर वर्ग पर, श्रम कानूनों को तहस नहस कर, ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन, तय समय के रोजगार की शुरूआत करने आदि जैसे विभिन्न रास्तों के माध्यम से केन्द्रित हमले आक्रामक ऊंचाई पर पहुँच गये हैं। इसके साथ ही यह भी नोट किया गया हैं कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को देश के आर्थिक मानचित्र से मिटा देने पर तुली हुई है। रेलवे के निजीकरण, बिना किसी रोकटोक के कोयला खनन को निजी देशी– विदेशी कंपनियों के लिए खोले जाने, भारी मात्रा में आऊटसोर्सिंग के माध्यम से रक्षा उत्पादन नेटवर्क के निजीकरण के साथ ही उसका विनाश और इस तरह लगभग आधे आयुध कारखानों का खात्मा करना सरकार के जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी कदमों के विशेष उदाहरण हैं। निजी कारपोरेटों द्वारा जानबूझकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के कर्ज की अदायगी न करने के चलते विशालकाय डुबाऊ कर्जों (एन पी ए) के साथ ही इसी कारपोरेट वर्ग द्वारा किये गये और हाल ही में सामने आये भारी घोटाले भी बड़े बिजनेस वर्ग के संरक्षण में लगी सरकार की राष्ट्र विरोधी कार्रवाईयों का परिलक्षण हैं।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने केन्द्रीय बजट 2018–2019 कि विरोध में अपनी तीखी निंदा को दोहराया कि बजट का चरित्र मजदूर विरोधी व जन विरोधी है और यह बिना संसाधनों का आवंटन किये ही लोकप्रियता बटोरने वाले नारों के शोर में जनता को धोखा देने वाला है।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने, समूचे देश में संगठित व असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में अलग–अलग सैक्टरों में मेहतनकश जनता के बढ़ते संधर्षों को तसल्ली के साथ दर्ज किया।

कोयला व परिवहन के मजदूर जल्द ही होने वाली अपनी संयुक्त उद्योगवार कार्रवाईयों की तैयारी कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन मजदूरों की सभी फेडरेशनों ने 15 मार्च, 2018 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है। और भी कई सारे सैक्टरों के संघर्ष आने वाले हैं।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने आने वाले इिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी तैयारियो को तेज करने के संकल्प को दोहराते हुए अपने सभी घटकों व आम मेहनतकश लोगों का उनकी संबंद्धता से पार जाकर 15 मार्च, 2018 को अखिल भारतीय विरोध दिवस को संयुक्त रूप से मनाने का आहवान किया।

- हड़ताली रक्षा उत्पादन मजदरों की एकजुटता में राष्ट्रविरोधी निजीकरणके कदम के खिलाफ;
- जनविरोधि छलावा केन्द्रीय बजट 2018–19 के खिलाफ

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें 15 मार्च, 2018 के बाद जल्दी ही अपनी अगली संयुक्त देशव्यापी कार्रवाई के बारे में निर्णय करने के लिए बैठक करेंगी।

इंटक, एटक, एच एम एस, सीटू, ए आइ यू टी यू सी, टी यू सी सी, सेवा, एक्टू, यू टी यू सी, एल पी एफ

ई पी एफ ओ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक

ए के पद्मनाभन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 220 वीं त्रिपक्षीय बैठक 21 फरवरी को हुई। इसमें निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।

1. कार्यसूची पर चर्चा शुरू होने से पहले सीटू प्रतिनिधि ने सरकार व ई पी एफ ओ की आलोचना करते हुए कहा कि ई पी एफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने दिसम्बर के दूसरे सप्ताह तक विशेष बैठक नहीं बुलाई जैसा कि मई में हुई बैठक और उसके बाद नवम्बर, 2017 में हुई बैठक में आश्वासन दिया गया था।

   चेयर मैन ने पहले यह कहते हुए चर्चा से बचने की कोशिश की कि मुद्दा अदालत में था। लेकिन स्पष्टीकरण की मांग कर रहे उत्तेजित ट्रेड यूनियन सदस्यों द्वारा कड़ा प्रतिवाद किये जाने पर मंत्री ने मार्च में ऐसी विशेष बैठक करने का आश्वासन दिया। इस पर, ई पी एफ ओ एक नोट तैयार करेगा और उसे सदस्यों को पहले ही दे दिया जायेगा।

2. सीटू के द्वारा यह सवाल पूछे जाने पर कि ई पी एफ ओ ग्राहकों का डेटा निजी शोध करने वालों को कैसे जारी किया गया और इस बारे ई पी एफ ओ की नीति क्या है, मंत्री के पास कोई तैयार उत्तर नहीं था और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस पर बाद में चर्चा हो सकती है।
3. बैठक को सूचित किया गया कि ई डी एल आइ में रायल्टी की राशि के बारे में पहले के फैसले पर सरकार पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। तथापि, चूंकि अधिसूचना की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसलिए यह पता करना जरूरी है कि क्या ई डी एल आइ के बारे में सभी फैसले–न्यूनतम ई डी एल आइ लाभ को 2.5 लाख तक बढ़ाने तथा सीमा पार कर चुके और 20 वर्षो से ई पी एफ ओ के सदस्य रहे लोगों को 30,000, 40,000 व 50,000 की रायल्टी राशि देने आदि को अधिसूचना में स्पष्टता से दिया गया है या नहीं। ई डी एल आइ का विस्तृत ब्यौरा राज्यों को भेजा गया था और सीटू मजदूर में छपा था।
4. सी बी टी को दी गई कार्रवाई निष्पादन रिर्पोट में, यह बताया गया था कि महिला व बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी मजदूरों के लिए ई पी एफ को खारिज कर दिया है, और कि यह अभी भी सरकार के विचाराधीन है।
   आंगनवाड़ी मजदूरों के लिए ई पी एफ का यह मुद्दा पहले भी यह कहते हुए बैठकों में लाया गया था कि वित्तमंत्री के नेतृत्व वाली समिति ने उसकी सिफाारिश की थी। सी बी टी ने इस पर चर्चा की थीऔर आंगनवाड़ी मजदूरों के लिए 10 प्रतिशत अंशदान को स्वीकार किया था। इसे मोदी सरकार के एक प्रमुख फैसले के रूप में खूब प्रचारित किया गया था, अब महिला व बाल विकास मंत्रालय कह रहा है कि आंगनवाड़ी मजदूर नियमित कर्मचारी नहीं हे। हमें सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। तथापि, ट्रेड यूनियन सदस्यों ने महिला व बाल विकास मंत्रालय के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया।
5. इस बैठक में प्रमुख मुद्दा वर्ष 2017–18 के लिए ब्याज दर का था। सभी यूनिनों ने पहले चक्र में कम से कम 9 प्रतिशत की मांग रखी। लेकिन सरकार तो पिछले वर्ष की 8.65 प्रतिशत की दर को ही मानने को तैयार नहीं थी। ट्रेड यूनियनों ने आखिर में पिदले वर्ष की 8.65 प्रतिशत की दर को ही बनाये रखने की बात रखी। लम्बी चर्चा के बाद मंत्री ने पहले कहा 8.5 प्रतिशत और अन्त में 8.55 प्रतिशत। और यह भी वित्तमंत्रालय की मंजूरी पर है। सभी ट्रेड यूनियन सदस्यों ने विरोध किया।
6. नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किये जा रहे प्रशासनिक शुल्क को वर्तमान 0.65 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया क्योकि अभी जमा किया जा रहा शुल्क सरप्लस में हैं।
7. सी बी टी ने एक बार फिर ई पी एफ के लागू होने के लिए मजदूरों की संख्या की सीमा को 20 से बदलकर 10 करने का फैसला किया। यह फैसला मूल रूप में सी बी टी की 10 वर्ष पहले हुई बैठक में लिया गया था और तब से सरकार के पास लंबित हैं। नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि उससे छोटे उद्योगों पर बोझ पड़ेगा।
8. सरकार, महिला मजदूरों के लिए पहले 3 वर्षो में ई पी एफ अंशदान को घटाकर 8 प्रतिशत करने के लिए बजट घोषणा को लागू करने के नाम पर ई पी एफ एक्ट को संशोधित करना चाहती है। अपने बजट भाषणा में वित्तमंत्री ने यह बेतुका दावा किया कि इससे '' महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और हाथ में आने वाली पगार भी बढ़ेगी।''
   बैठक में, सीटू प्रतिनिधि ने इस दावे को आधारहीन बताते हुए इसकी निंदा की। सीटू के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि संशोधन को इस तरह तैयार किया गया है कि सरकार किसी भी वक्त सभी श्रेणी के उद्योगों व सभी तबकों के मजदूरों के लिए ऐसी छूट का एलान कर सकती है। अन्य ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया। नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि इससे महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी।
   मंत्री को फैसला टालने पर मजबूर होना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा कि सी बी टी बैठक में प्रकट की गयी चिंता को वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जायेगा।
   सीटू ने, ट्रेड यूनियनों से बिना परामर्श किये श्रम कानून संशोधनों को बजट भाषण में शामिल किये जाने की भी आलोचना की।
9. बैठक में ई पी एफ एक्ट में वेतन की नई परिभाषा देने का भी प्रस्ताव था। एक चार सदस्यीय समिति प्रस्ताव का अध्ययन करेगी और इसे अगली बैटक में चर्चा के लिए लिया जायेगा।
10. रोजगार से बाहर लोगों को ई पी एफ से अग्रिम दिये जाने के बारे में ई पी एफ में एक नया अनुच्छेद जोड़े जाने को लेकर एक अन्य प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इस मुद्दे पर अब अगली बैठक में चर्चा की जायेगी। क्योंकि इसमें बेरोजगारी की स्थिति में पूर्ण निकासी जैसे कई अन्य मुद्दे शामिल है।
11. एक बार फिर ई पी एस कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) में जाने के विकल्प का मुद्दा बैठक में रखा गया। ट्रेड यूनियनों ने इसे पहले की तरह फिर खारिज कर दिया। मंत्री को इसे टालना पड़ा।

उद्योग व क्षेत्र

सड़क परिवहन

राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान् : हड़ताल की तैयारी करो!

मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक के खिलाफ 15 फरवरी को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने, इस सम्मेलन द्वारा स्वीकार्य 8 सूत्रीय माँगों के वास्ते सभी सड़क परिवहन मजदूरों, अन्य हितधारकों और वाहन मालिकों का देशव्यापी हड़ताल की तैयारी करने का आह्वान् किया है।

मांगों में शामिल हैं जन–विरोधी मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक की वापसी; प्रभारों में वृद्धि करने वाली 29 दिसंबर 2016 की अधिसूचना को वापस लेने; राज्य सरकारों को नुकसान की भरपाई करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाना; पूर्वनिर्मित बसों की जीएसटी दर में कमी; तीसरे पक्ष के बीमा में कमी; वित्तीय सहायता के साथ राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का संरक्षण और सुरक्षा; परिवहन क्षेत्र में सभी हितधारकों की सुरक्षा; और परिवहन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभों के साथ न्यूनतम मजदूरी रु० 24,000 हो।

ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के संयुक्त महासचिव आर. लक्ष्मैया के स्वागत भाषण के बाद; संयोजक के.के. दिवाकरन ने सम्मेलन की घोषणा पेश की, जिसे एन.एफ.आई.आर.टी.डब्ल्यू. के निर्मल सिंह दालीवाल, आई.एन.टी.डब्ल्यू.एफ. के उमेश शर्मा, आर.टी.डब्ल्यू.एफ.आई. के हनुमंत टेट, एल.पी.एफ के शणमुगम, टी.टी.एस.एफ. के एस. सम्पथ, टी.यू.सी.आई. के चार्ल्स जॉर्ज, यूटीयूसी के सुकुमार घोष, मोटर व्हीकल्स ऑफीसर्स एसोसिएशन के वी. साजिथ, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एसोसिएशन से एम के विजयन, लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के सुगुमरण, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तकनीकी अधिकारी एसोसिएशन से असफाक अहमद, जे.टी.यू.सी. के मनोज पेरूम्पली ने समर्थन किया। सभी वक्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक के खतरों को समझाया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से घोषणापत्र और कार्य योजना को स्वीकृत किया।

ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के श्यामल चक्रवर्ती, एन.एफ.आई.आर.टी.डब्ल्यू. के एम. एल. यादव, आई.एन.टी.डब्ल्यू.एफ. के के. पी. हरिदास, आर.टी.डब्ल्यू.एफ.आई. के संदीप शिंदे, एल.पी.एफ. के नटराजन, टी.टी.एस.एफ के डी. वी. पद्मनाभन और यूटीयूसी के टी. सी. विजयन के अध्यक्ष मण्डल ने कार्यवाही का संचालन किया। के. हरि प्रसाद, सांसद और संसदीय चयन समिति के सदस्य मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। (द्वाराः आर. लक्ष्मैया)

केरल में सड़क परिवहन की मुकम्मल हड़ताल

के.के. दिवाकरन

मोदी सरकार की गलत नीति के कारण पेट्रोल व डीजल कीमतों में सुबह–शाम वृद्धि तथा मजदूर–विरोधी और जन विरोधी मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 के विरोध में 24 जनवरी को केरल में मोटर वाहन की हड़ताल के दौरान पूरे राज्य की सड़क परिवहन

प्रणाली में पूर्ण विराम आ गया। हड़ताल का आह्वान्, केरल ट्रान्सपोर्ट इण्डस्ट्री प्रोटेक्शन कॉन्सिल – सीटू, एटक, इन्टक, एच.एम.एस., एस.टी.यू., जनता दल टी.यू.सी., टी.यू.सी.आई., के.टी.यू.सी. और मालिकों के एसोसिएशन के संयुक्त मंच द्वारा दिया गया था।

ऑटो, टैक्सियों, निजी और के.एस.आर.टी.सी. बसों, लॉरी, ड्राइविंग स्कूल, ऑटोमोबाइल कार्यशालाएं, स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स आदि के मजदूर; और मोटर वाहनों के मालिकों ने मुकम्मल हड़ताल में भाग लिया। सभी लोकतांत्रिक ताकतों ने हड़ताल का समर्थन किया। मछुआरों और चर्च ऑफ साउथ इण्डिया, एक प्रमुख ईसाई समुदाय, ने स्वेच्छा से हड़ताल का समर्थन किया। हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों और दुकानों में सन्नाटा छाया रहा।

तिरुवनंतपुरम में हड़ताली मजदूरों और मालिकों ने एजी के कार्यालय की ओर कूंच किया और धरने का आयोजन किया जिसे सीटू के राज्य महासचिव एलामारम करीम ने उद्घाटन किया और एलामारम करीम एवं सीटू के रोड़ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के महासचिव के.के. दिवाकरन ने सम्बोधित करते हुए कहा कि मजदूरों एवं मालिकों की कड़ी मेहनत से भाजपा सरकार के कुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के आयोजन की सराहना की। केरल भर में सभी शहरों में इसी तरह के विरोध जुलूस और बड़े पैमाने पर धरने किए गए। बी.एम.एस. की यूनियन के मजदूर, हड़ताल में शामिल न होने के उनके नेतृत्व के फैसले की अनदेखी करते हुए, हड़ताल और विरोध कार्रवाई में शामिल हो गए। यह मजदूरों का नया अनुभव था, कि मछुआरों, एक प्रमुख ईसाई समुदाय संगठन और वाहनों के मालिकों ने इस विरोध कार्रवाई में हाथ मिलाऐ।

भाजपा सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को 16 जुलाई, 2017 से पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि रोजना करने की अनुमति दी। 29 जनवरी, 2018 को डीजल की कीमत लगभग 70 रुपये प्रति लीटर थी, जो सर्वोच्च थी। पेट्रोल की कीमत 77 रुपये है और मुंबई में यह 80.80 रुपये प्रति लीटर है। जनवरी के पिछले दो हफ्तों में डीजल और पेट्रोल की कीमत क्रमशः 20 पैसे और 15 पैसे रोजाना की औसत वृद्धि हुई थी। 2017 के पिछले 6 महीनों के दौरान डीजल की कीमत में 9 रुपये से अधिक की वृद्धि हुई थी। जब केंद्र में भाजपा सत्ता में आई तो पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 69.15 रुपये और 49.57 रुपये थी। डीजल में यह वृद्धि लगभग 19 रुपये की थी।

अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह वृद्धि हुई है। मई, 2014 में कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल थी, जो जनवरी 2018 में 70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई थी।

पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि का कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकर, कर और उत्पाद शुल्क आदि में असामान्य वृद्धि के कारण है। राज्य सरकारें अतिरिक्त कर लगा रही हैं। मूल्य का लगभग 50% कर, उपकर, उत्पाद शुल्क आदि के रूप में है। मोदी सरकार की नीति ने रिलायंस और एस्सार जैसी निजी तेल कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ के लिए मदद की है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि, सामान्य लोगों के लिए किराया और वाहन शुल्क में वृद्धि कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा।

केंद्रीय सरकार की गलत नीति के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के चलते मोटर ट्रांसपोर्ट उद्योग और उसके मजदूरों के संकट में, बीमा प्रीमियम में लगभग 200% की वृद्धि भी जुड़ गयी है।

ए.आइ.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. और अन्य ट्रेड यूनियनों के तहत, सड़क परिवहन मजदूरों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में असामान्य वृद्धि के खिलाफ जन–धरने और गेट बैठकें आयोजित करके देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए।

सड़क परिवहन मजदूरों का बिहार राज्य सम्मेलन

विभिन्न मोटर वाहनों के सड़क परिवहन मजदूरों के 4 फरवरी 2018 को पटना में आयोजित राज्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ऑल इण्डिया रोड़ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उप महासचिव कॉमरेड़ आर. लक्ष्मैया ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक सड़क परिवहन मजदूरों एवं ऑपरेटर्स का विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक है जिसे सरकार फरवरी के प्रथम सप्ताह में राज्य सभा में पेश करने जा रही है। उन्होने सभी परिवहन मजदूरों की व्यापक एकता के निर्माण का हर संभव प्रयास संयुक्त संघर्ष के लिए करने का आह्वान् किया।

पंजाब रोड़वेज में मुकम्मल हड़ताल

तरन तारन में सुनसान पडा बस स्टैंड

पंजाब रोडवेज के सभी 18 डिपो और 2 उप–डिपो के 6,000 से अधिक मजदूरों ने 21 फरवरी को एक दिन की पूरी हड़ताल की, प्रतिरोध रैलियों और राज्य भर में प्रदर्शनों का आयोजन किया। सभी बस डिपो सुनसान हो गए थे और सड़क पर एक भी बस नहीं चल रही थी।

हड़ताल का आयोजन सीटू से संबद्ध पंजाब रोडवेज पन बस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन और पंजाब रोडवेज के सभी अन्य यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया था, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की नौकरियों के नियमितकरण की मांग कर रही थी; समान काम के लिए समान वेतन; आवश्यकता के मुताबिक नई बसें और मजदूर–विरोधी और जन–विरोधी सड़क सुरक्षा विधेयक को वापस लेने की मांग की है।

कोयला

कोयले के निजीकरण और कॉरपोरेट लूट का विरोध

मोदी सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा 20 फरवरी को, मूल्य और अंत उपयोग पर प्रतिबंध के बिना, निजी उपयोग के लिए निजी कोयला खनन की अनुमति देने के निर्णय लेने के बाद से सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों में सीआईएल, इसके 9 सहायक और एससीसीएल–कोयले के कर्मचारियों का गुस्सा, स्वतः एवं संगठित तौर पर प्रदर्शनों, पुतला जलाने और कोयले के परिवहन को अवरुद्ध करने के रूप में फूट पड़ा।

सीटू, एटक, इन्टक, एच.एम.एस. और बी.एम.एस. के सभी पांच मान्यता प्राप्त कोयला महासंघ, 4 मार्च को रांची में मीटिंग करके, 5 लाख से अधिक कोयला मजदूरों की हड़ताल सहित देशव्यापी आंदोलन का फैसला करेंगे।।

कीमत और इसके अंत–उपयोग पर किसी भी प्रतिबंध के बिना, देशी–विदेशी कॉरपोरेट को कोयले की निजी वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के मोदी सरकार के सीसीईए के निर्णय की सीटू ने 21 फरवरी को एक बयान में, कड़ी निंदा की;बिजली, सीमेंट और इस्पात उद्योगों में कैप्टिव उपयोग के लिए निजी कोयला खनन को छोड़कर, केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन की चार दशकों की लंबी नीति से पलट जाना है।

कोयला पी.एस.यू. ने देश के औद्योगिक विकास, बिजली उत्पादन क्षमता और अर्थव्यवस्था में भारी योगदान दिया है। सरकार का यह निर्णय कोयले के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कमजोर और निजीकरण का रास्ता तैयार करेगा। यह कोयला उत्पादन को प्रभावित करेगा; कोयले के निजी खनन में मजदूरों के अधिकारों और सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा; मूल्य प्रतिबंध हटाने और उनके अंत–उपयोग के कारण आम जनता पर बहुत अधिक बोझ बढ़ेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा में गंभीर रूप से कमी आएगी।

यह निर्णय मोदी सरकार द्वारा 2016 में कोयला खान राष्ट्रीयरण अधिनियम में कोयला खानों (विशेष प्रावधान) विधेयक के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसका कोयला ट्रेड यूनियनों द्वारा उद्योग में देशव्यापी हड़ताल और संसद में वाम सांसदों द्वारा जोरदार विरोध किया गया था।

स्टील

दुर्गापुर में एएसपी के निजीकरण का विरोध

अंततः मोदी सरकार के निर्णय के अनुसार, सेल मैनेजमेंट ने 13 फरवरी को दुर्गापुर में एसोसिएटेड स्टील प्लांट (एएसपी) की सम्पूर्ण

रोड नाकाबंदी

गेट मीटिंग

बिक्री के लिए निविदा नोटिस जारी किया था। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। अगले ही दिन, सीटू, इन्टक, सत्तारूढ़ टीएमसी की आई.एन.टी.टी.यू.सी. और कई अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एवं स्वतःस्फूर्त वाले प्रदर्शनों का आयोजन किया और गेट मीटिगों का आयोजन किया। एएसपी के आसपास के इलाके पूरी तरह से अवरुद्ध थे। सूर्य सेन एवेन्यू को 5 घंटे के लिए सड़क परिवहन को अवरुद्ध कर दिया गया था। नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के हस्तक्षेप की मांग की, तमिलनाडु सरकार ने सेलम स्टील प्लांट के विनिवेश के दौरान हस्तक्षेप किया था।

स्टील टाउनशिप में आंदोलन विभिन्न रूपों में निरंतर रूप से अभी भी चल रहा है।

बिजली

बिजली के अधिकार की रक्षा करो; बिजली (संशोधन) विधेयक का विरोध करो

बिजली : सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सेवा

स्वतन्त्रता के फौरन बाद, बिजली के उत्पादक, प्रेषण व वितरण के लिए केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों ने बिजली की (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 पारित किया था क्योंकि बिजली को सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक सेवा माना गया था। समूचे देश में कृषि, वाणिज्य व उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा संचार के तेज विकास के लिए विधुतीकरण हेतु सेंट्रल इलैक्ट्रीसिटी अथारिटी (सी ई ए) और राज्य बिजली बोर्डो (एस ई बी) का गठन किया गया था। राज्य बोर्डो का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं था। आपूर्ति की लागत को, क्रॉस सब्सिडी– सीमित वित्तीय क्षमता वाले लोगों को ऊंची आय वाले उपभोक्ता समूह द्वारा आर्थिक मदद द्वारा हासिल किया जाना था।

नवउदारवादी आर्थिक नीति के साथ बदली दिशा

नवउदारवादी आर्थिक नीति पर अमल के साथ बिजली के बारे में सरकार के नजरिये में बड़ा बदलाव आ गया। राज्य बिजली बोर्डो को धाटे के लिए जिम्मेदार ठहराकर उन्हें बिजली अधिनियम 2003 के माध्यम से तीन भागों में बाँट दिया गया। सरकार ने निजी कंपनियों को ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में उतरने के साथ–साथ उन्हें बिजली के उत्पादन, वितरण व प्रेषण में उतरने की भी इजाजत दे दी।

प्रारम्भ में, सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 के मूल मसविदे के अनुच्छेद 6 के माध्यम से ग्रामीण विधुतीकरण की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन, जनता व बिजली कर्मियों व इंजीनियरों के कड़े विरोध के चलते सरकार को उस अनुच्छदे को मसविदे से हटाना पड़ा। बढ़ते निजीकरण, फेंचाइजी, ठेकाकरण व आऊटसोर्सिंग के वाबजूद; 2003 का अधिनियम, बिजली सस्ती करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहा। ओडिशा पहला राज्य था जिसने अमरीकी कंपनी ए ई एस को राज्य में आमन्त्रित किया। वे सेवा देने में असफल रहे। अंबानी की रियायंस भी आयी और असफल रही। अब, सारे राज्य में सरकारी कंपनियां ही सेवा प्रदान कर रही हैं।

शुल्क आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के माध्यम से विकसित अति विशाल बिजली परियोजनायों अल्ट्रा मेगा पॉवर प्राजेक्ट्स (यू एम पी पी) पूरी तरह असफल साबित हुई। 16 में से केवल 3 परियोजनायें ही शुरू हो सकीं। ये भी पिछले दरवाजे से सांठ–सांठ कर शुल्क बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। सासन में अंबानी और मूंदड़ा में अदानी अपने गैर कानूनी धंधे को जायज ठहराने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हार गये। 10 वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने, जिन्होंने इन परियोजनाओं के साथ पी पी ए पर दस्तखत किये थे, उपभोक्ताओं से हजारों करोड़ रूपये झटक लिए। अडानी की 'डीप सी ट्रेडिंग कोल' ने सत्ता में बैठे बेईमान नेताओं से मिलकर धोखा धड़ी का इतिहास कायम कर दिया। इसके पहले, पाँच दशकों का राज्य बिजली बोर्डों का कुल जमा नुकसान 30,000 करोड़ रूपये था। लेकिन, राज्य बिजली बोर्डों के निगमीकरण के 14 वर्ष के अंदर डिस्कॉम का कुल जमा नुकसान 4.3 लाख करोड़ रूपये पर जा पहुँचा; वित्तीय संस्थानों का 5 लाख करोड़ रूपये का कर्ज इससे अलग है; यह सब तब हुआ है जब उन्होंने जनता पर 6 से 8 गुना शुल्क वृद्धि का बोझ डाला।

बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन सी सी ओ ई ई ई) ने भारत सरकार से, बिजली अधिनियम 2003 के लागू होने के प्रभाव पर श्वेत पत्र जारी किये जाने की माँग की है।

नया हमला

मोदी सरकार ने अब प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 में बिजली वितरण को कैरेज व कंटेंट के रूप में दो भागों में विभक्त करने का प्रस्ताव कर बिजली क्षेत्र में निजी खिलाडियों के सुपर मुनाफों का दायरा और बढ़ा दिया है। उपभोक्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता का विकल्प होने की दलील के द्वारा विधेयक प्रस्ताव करता है कि एक विशेष इलाके में 'आपेन एक्सेस' व्यवस्था के अंतर्गत वितरक एजेंसी के एकल नेटवर्क के माध्यम से कई आपूर्तिकर्ता बिजली की आपूर्ति कर सकते है। लेकिन, यह तथ्य अपनी जगह है कि गरीब उपभोक्ताओं के पास सरकार के स्वाभित्व वाली आपूर्ति कंपनी के सिवाय आपूर्ति की लागत बढ़ने की स्थिति में कोई विकल्प नहीं होगा। जाहिर है कि निजी आपूर्तिकर्ताओं की अच्छे राजस्व की क्षमता वाले शहरों व औद्योगिक क्षेत्र में धंधा करने में रूचि होगी। सरकारी स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों को क्रॉस सब्सिडी की अनुपस्थिति में कम उपभोग करने वाले गरीब उपभोक्ताओं के साथ नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि ज्यादा उपभोग करने वाले वित्तीय रूप से समृद्ध उपभोक्ता आपूर्ति की कम लागत का आनंद लेंगे।

जहाँ बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ रहे है और निजी कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे है; बिजली क्षेत्र में नियमित काम को कानूनों का भारी उलंधन कर नियमित मजदूरों से हस्तांतरित कर कम से कम मेहनताने की दर पर कैजुअल, आऊटसोर्स, ठेका व फ्रेंचाइजी के मजदूरों को दिया जा रहा है।

समय आ गया है कि बिजली मजदूरों व जनता द्वारा उपभोक्ताओं व मजदूरों के इस शोषण का विरोध किया जाये। इलैक्ट्रीसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ई ई एफ आइ) जनता के सभी तबकों से बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 का जिसे संभवत चालू बजट सब में संसद में पेश किया जायेगा, का विरोध करने के लिए आगे आने की और उपभोक्ताओं व बिजली मजदूरों के शोषण के खिलाफ संधर्ष में बिजली मजदूरों का साथ देने की अपील करती है। *(ई एफ एफ आई की जन अपील से)*

उत्तरप्रदेश

बिजली मजदूरों व उपभोक्ताओं का संयुक्त कन्वेंशन

अखिल भारतीय किसान सभा (ए आइ के एस) व उत्तरप्रदेश बिजली बोर्ड एम्पलाइज यूनियन (यू पी बी बी ई यू) की जिला इकाईयों के द्वारा संयुक्त रूप से बिजली के दामों में वृद्धि और निजीकरण के खिलाफ 5 जनवरी को बुलंदशहर जिले में हुई विशाल महापंचायत में लगभग 800 बिजली मजदूरों, किसानों व अन्य लोगों ने भाग लिया।

कन्वेंशन को दिल्ली साइंस फोरम से बिजली वैज्ञानिक प्रबीर पुरकायस्थ, इलैक्ट्रीसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लाम्बा, यू पी बी ई यू (सीटू) के अध्यक्ष भगवान मिश्र व उसके महासचिव बिशम्बर सिंह, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डी पी सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, सीटू के राज्य महासचिव प्रेमनाथ राय, राज्य उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह व अन्य ने संबोधित किया।

पुरकायस्थ ने कन्वेंशन में ओडिशा में निजीकरण के अनुभव व आपूर्ति के निजीकरण की वर्तमान कोशिशों के बारे में बताया। लाम्बा ने निजीकरण व मूल्य वृद्धि के विरोध में एन सी सी ओ ई ई ई के राज्य स्तरीय कन्वेंशनों तथा बजट सत्र में संसद पर प्रदर्शन के कार्यक्रम के बारे में बताया। यदि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 को संसद में पास किया जाता है तो, बिजली मजदूर व इंजीनियर काम का बहिष्कार और राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। हैदराबाद सम्मेलन के फैसले के अनुरूप ई फी ने रोजगार को नियमित करने तथा समान काम के लिए समान वेतन की माँग को लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ा है। किसान नेता डी पी सिंह ने कहा कि बिजली का निजीकरण किसानों के लिए भारी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। बिजली के निजीकरण व दामों में वृद्धि के खिलाफ उत्तरप्रदेश के किसान 15 मार्च को राज्य विधान सभा पर राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे। *(योगदान : सुभाष लांबा)*

बिजली मजदूरों व अभियंताओं को राज्य कन्वेंशन

राष्ट्रीय स्तर पर हुए फैसले के अनुरूप, उत्तरप्रदेश में बिजली मजदूरों व अभियंताओं की संयुक्त संधर्ष समिति ने 3 फरवरी को लखनऊ में राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया। कन्वेंशन का प्रस्ताव उत्तरप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड इंजीनियर्स एसोशिएयन के महासचिव राजीव सिंह ने पेश किया जे एस सी के संयोजक व ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2014 का चरित्र मजदूर, इंजीनियर व उपभोक्ता विरोधी है और यह बिजली का निजीकरण करने व उसके दाम बढ़ाने के लिए है। प्रस्ताव के समर्थन में कन्वेंशन को संबोधित करते हुए, यू पी बी वी ई यू की ओर से प्रेमनाथ राय ने कानपूर में पहले हुए प्रतिरोध की याद दिलायी जिसमें प्रतिरोध के चलते सरकार को निजीकरण से जहाँ पीछे हटना पड़ा था वहीं प्रतिरोध के अभाव में आगरा में वितरण का निजीकरण हो गया। कन्वेंशन को संबोधित करने वालों में विद्युत मजदूर पंचायत के गिरीश पांडे; यू पी बिजली मजदूर संगठन के महेन्द्र राय; यू पी बिजली मजदूर संध के राजेन्द्र घिरीवाल; यू पी ताप विद्युत मजदूर संध के शम्भु रतन दीक्षित; राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संध के परशुराम; यू पी राज्य विद्युत परिषद श्रमिक संध के पी एस वाजपेयी; विद्युत कार्यालय क्रमिक संध के रामसहारे वर्मा; विद्युत मजदूर यूनियन यू पी के यूसे लाल; विद्युत पैरामेडिकल एसोशिएसन के जी पी सिंह शामिल थे। कन्वेंशन ने समन्वय समिति द्वारा पेश आंदोलन व अभियान के कार्यक्रम का पूरा समर्थन किया।

इस बीच, योगी सरकार के निर्देश के अनुरूप, सार्वजनिक क्षेत्र की यू पी पॉवर कारपोरेशन निमिटेड ने सात जिलों में बिजली वितरण का निजीकरण करने के लिए 4 फरवरी को निविदायें आमंत्रित कीं। इस पर तुरन्त ही, यू पी इलैक्ट्रीसिटी एम्पलाइज संयुक्त संधर्ष समिति ने प्रबंधन को 11 फरवरी तक आदेश को रद करने का नोटिस दिया।

आंध्रप्रदेश

बिजली ठेका मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

आंध्रप्रदेश बिजली ठेका मजदूरों के संयुक्त मंच के बैनर तले, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के आंध्रप्रदेश पॉवर कारपोरेशन के 23000 ठेका मजदूर वेतन वृद्धि व सीधे भुगतान के पूर्व में किये गये वादे को पूरा करने की एक निश्चित तारीख का आदेश जारी करने मांग को लेकर 20 फरवरी से, खबर लिखे जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। हड़ताल पूरे राज्य में सभी बिजलर स्टेंशनों, उपस्टेशनों व आपूर्ति प्रतिष्ठानों में 95 प्रतिशत थी। हड़ताल मजदूरों वे सरकार व प्रबंधन के मौखिक आश्वासनों को मानने से इंकार कर दिया।

हड़ताल, ज्सादातर ठेका मजदूरों के तकनीकी रूप से योग्य होने, कुशल होने व कारपोरेशन के स्थायी व लगातार प्रकृति के काम में लगातार लगे रहने ने बावजूद ठेका श्रम (नियमन व उन्मूलन) अधि० तथा समान काम के लिए समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए, ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों को कम वेतन दिय जाने की पृष्ठिभूमि में हुई है।

ईफी व सीटू ने हड़ताल व माँगों को जायज बताते हुए उनकस समर्थन किया है और राज्य सरकार में मांगों का जल्द समाधान करने तथा किसी तरह के दमनकारी कदमों से परहेज करने का आह्वान किया है।

सीमेन्ट

राजस्थान सीमेन्ट श्रमिक समन्वय समिति का द्वितीय राज्य सम्मेलन

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 6 जनवरी 2018 को आयोजित राजस्थान सीमेन्ट श्रमिक समन्वय समिति के दूसरे राज्य सम्मेलन में बिडला सीमेन्ट खारीया खंगार, बिडला सीमेन्ट, चित्तोड़ सीमेन्ट, लार्फा सीमेन्ट, वण्डर सीमेन्ट, आदित्य सीमेन्ट शम्भुपुरा और जे. के. सीमेन्ट आदि के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।

इस सम्मेलन का उद्घाटन ऑल इण्डिया सीमेन्ट उद्योग फेडरेशन के सदस्य और राष्ट्रीय सचिव का० निशीथ चौधुरी ने किया। सम्मेलन को पश्चिम बंगाल सीमेन्ट उद्योग फेडरेशन के सचिव का० हराधन साई और सीटू के राज्य अध्यक्ष का० रवीन्द्र शुक्ला ने सम्बोधित किया और अन्य क्षेत्रों की यूनियनों के नेताओं ने सम्मेलन को शुभकामनाऐं दी। और सम्मेलन की कार्रवाही का संचालन सीटू के राज्य के नेता और चित्तोड़ गढ़ जिला सचिव जी.आर. मीणा ने किया।

सम्मेलन में कालुराम सुथार को संयोजक और कन्हैया लाल श्रीमाली कानूनी सलाहकार सहित 10 सदस्यीय समन्वय समिति को चुना गया। सम्मेलन का समापन एक जन सभा के आयोजन के साथ हुआ।

सीमेन्ट श्रमिक समन्वय समिति द्वारा आन्दोलन:- राज्य सम्मेलन के बाद राजस्थान सीमेन्ट श्रमिक समन्वय समिति ने जनवरी 2018 को चित्तोड़ गढ़ के निम्बाहेड़ा स्थित प्रशासनिक कार्यालय पर एक दिवीय धरना आयोजित किया और 5 सूत्रीय मांगों पर एक ज्ञापन नागरिक और पुलिस प्रशासन सौंपा गया। माँगें मुख्य रुप से अनेक सीमेन्ट उद्योग में प्रबधन द्वारा की जा रही प्रताड़ना और बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों के उल्लंघन तथा प्रबन्धकों के इशारों पर सीमेन्ट उद्योग के मजदूरों के साथ पुलिस दमन से सम्बन्धित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र

ih-,l-;w- deZ/kh ekfVx dk QSlyk

संयुक्त कार्यवाही के लिए घनीभूत प्रचार अभियान

सीटू के सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की संचालन समिति की एक बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 19 फरवरी को आयोजित की गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विघटन और निजीकरण की मोदी सरकार की मुहिम के चलते केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों (सीपीएसयू) के आसन्न खतरे पर चर्चा हुई।

सीटू के महासचिव तपन सेन, इसके राष्ट्रीय सचिव और समिति के संयोजक एस. देवरॉय और इसके सदस्यों – बेंगलुरु पीएसयू के ज्वाइंट एक्षन फ्रंट के संयोजक मीनाक्षी सुंदरम, स्टील वर्कर्स फेडरेषन ऑफ इण्डिया कि महासचिव पी.के. दास, बी.एस.एन.एल.

एम्पलाईज यूनियन के महासचिव पी. अभिमन्यु, पेट्रोलियम एण्ड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के महासचिव नेगॉन चुटिया, केरल से के. चंद्रन पिल्लई, आंध्र प्रदेश से सीएच. नरसिंग राव और सीटू केंद्र से एच.एस. राजपूत और कुमार मंगलम ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता मीनाक्षी सुंदरम ने की।

बैठक में सी.पी.एस.यू. के मजदूरों के बीच देशव्यापी एक सप्ताह का व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला किया गया, जिसमें मौजूदा स्थिति को समझाते हुए उन्हे सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से तय संयुक्त कारवाही कार्यक्रमों कार्यान्वयन के लिए तैयार किया जा सके, और लागू करने के लिए के विवरण के बारे में अखिल भारतीय समन्वय समिति की संचालन समिति की अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होने वाली अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

बैठक के समापन पर, उसी दिन शाम को डी.सी.आई.एल. की स्ट्रेटेजिक सेल और विजाग स्टील प्लांट के विनिवेश के खिलाफ डी.सी.आई.एल. के मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में विशाखापत्तनम सार्वजनिक क्षेत्र समन्वय समिति द्वारा आयोजित एक रैली में सार्वजनिक क्षेत्र के हजारों मजदूरों को सभी उपस्थित नेताओं ने संबोधित किया और उनके संघर्ष का समर्थन किया। (द्वाराः कुमार मंगलम्)

सी.पी.एस.यू. आदि की बड़े पैमाने पर निजीकरण कि मुहिम

बजट घाटे को पूरा करने के लिए, मोदी सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के निजीकरण तथा बिक्री और विनिवेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 72,500 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से कहीं बहुत अधिक 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कमाया है।

नीति आयोग ने पहले से ही लाभ कमाने वाली सीपीएसयू की चार सूची तैयार करके केंद्रीय मंत्रालय को सौंप दी है जिसमें 40 सीपीएसयू शामिल हैं, जिन्हे 'स्ट्रेटेजिक सेल के लिए' सूचीबद्ध किया है, जिसके तहत अल्पसंख्यक शेयर धारिता के बावजूद भी कुल प्रबंधन को निजी नियंत्रण में देना है।

अंततः नीति आयोग अब निजीकरण के लिए घाटे वाले सी.पी.एस.यू. की नयी सूची तैयार करने पर काम कर रहा है।

दूसरी ओर, पहले चरण में 23 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के लिए बुलायी गयी निविदा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। जम्मू तवी और कोच्चि रेलवे स्टेशनों के प्रत्येक के लिए केवल एक–एक दावेदार ही था। सरकार को निविदाओं को रद्द करना पड़ा। अब केंद्रीय बजट 2018–19 में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड बनाकर सभी 600 रेलवे स्टेशनों में निजी साझेदारी की नीयत से चरणबद्ध निजीकरण के लिए अभियान प्रस्तावित किया गया था।

पश्चिम बंगाल

संयुक्त रूप से 6 यूनियनों द्वारा आयोजित, पश्चिम बंगाल के लगभग 3,000 नगरपालिका मजदूरों ने 22 दिसंबर को कोलकाता में रानी रसमोनी एवेन्यू में एक शानदार राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जिसमें 5 सूत्रीय माँग पत्र में 10 साल से अधिक समय से कैजुअल मजदूरों की सेवा को नियमित करना; समान काम के लिए समान वेतन; बकाया डीए का भुगतान; 6$^{वें}$ वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वन आदि प्रमुख रुप से शामिल हैं और राज्यपाल को एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया।

रैली को संबोधित करते हुए यूनियन के नेताओं ने टी.एम.सी. सरकार के मजदूर विरोधी नजरिए और प्रभारी मंत्री द्वारा यूनियन के साथ चर्चा करने से भी इन्कार करने की निन्दा करते हुए, आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर गहराने के बारे में चेतावनी दी (द्वाराः राणा मित्रा)

राज्यों से

हरियाणा

आशा मजदूरों की महत्वपूर्ण जीत

लगभग 20,000 आशा मजदूरों ने 16 दिनों के लगातार संघर्ष और सरकार और उनके सीटू के नेतृत्व वाले यूनियन के बीच निश्चित वेतन और प्रोत्साहन राशि में पर्याप्त वृद्धि के समझौते के बाद 16 फरवरी को जीत का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के 21 जिला मुख्यालयों पर रंगारंग और जबरदस्त रैलियों का आयोजन किया।

17 जनवरी देशव्यापी संयुक्त हड़ताल के तहत हुई रैलियों और प्रदर्शनों में लगभग 28,000 योजनाकर्मी राज्य की सड़कों पर थे, जिसमें राज्य में कुल 19,855 श्रमिकों में आशा वर्कर्स की भागीदारी 12,530 के तौर पर सर्वाधिक थी। यह हरियाणा में आशा वर्कर्स के स्वतंत्र संघर्ष की शुरूआत थी। अगले ही दिन 18 जनवरी को जिलों के मुख्यालयों में लगातार रिले धरना के साथ शुरू जिसमें भागीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही और 27 जनवरी को इस आंदोलन को उच्चतम् शिखर पर ले जाकर वापस लिया गया और सभी आशा वर्कर्स पूर्ण राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो गए। 27–28 जनवरी को, हड़ताली मजदूरों ने सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों, सांसदों और राज्य एवं केंद्र के मंत्रियों के घरों पर जाकर प्रदर्शनों का आयोजन किया। इसके बाद मजदूरों के देशव्यापी संयुक्त सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर 30 जनवरी को गिरफ्तारी दी गई।

आखिरकार, 1 फरवरी को निमंत्रण पर, यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ 3 घंटे की लंबी चर्चा की और एक समझौता संपन्न हुआ। पहले दौर की चर्चा अधिकारियों के साथ हुई। समझौते के बारे में मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री की सार्वजनिक घोषणा के बाद, यूनियन ने हड़ताल को समाप्त कर दिया।

इस समझौते के अनुसार, आशा वर्कर्स का मासिक निश्चित पारिश्रमिक में रु० 3,000 बढ़ोत्तरी हुई है, अर्थात् रु० 1000 से बढ़ाकर रु० 4,000 किया है। इसके अलावा, 4 श्रेणियों में प्रोत्साहन राशि को रु० 100 रूपये और एक श्रेणी में रु० 50 की वृद्धि की है। औसतन कुल प्रोत्साहनों को 1200–1300 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है। इसमें से 50% का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में किया जाएगा जो 2013 में यूनियन के आंदोलन के बाद शुरू किया गया था। इस प्रकार, कुल औसत वृद्धि रु० 4500 प्रति माह है।

समझौते से पहले आशा वर्कर्स की मासिक कमाई औसतन रु० 4,500 थी, जिसमें रु० 1,000 निश्चित वेतन के साथ मुख्य रूप से प्रोत्साहन ही शामिल थे। समझौते के बाद आशा वर्कर्स की औसत मासिक आय रु० 9,000 रुपये होगी, जिसमें रु० 4,000 निश्चित वेतन और बाकी प्रोत्साहन के रूप में शामिल होगा; जो राज्य में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के बराबर है, जो कि यूनियन की बुनियादी मांग थी। अनेक आशा वर्कर्स अधिक भी कमा रहे हैं क्योंकि पारिश्रमिक प्रोत्साहन आधारित है।

समझौते में, कुछ अन्य लाभ भी हैं जैसे आकस्मिक मृत्यु के मामले में 3 लाख मुआवजा और घायल वर्कर्स को सभी चिकित्सा खर्च; बीमा योजना के तहत सभी का कवरेज; प्रत्येक को मोबाइल फोन प्रदान करना; सभी हटाए गए फेसीलिटेटर्स को पुनर्स्थापित करने के लिए सहमत होने पर सरकार न्यायालयों से सभी मामलों की वापसी; एएनएम और स्टाफ नर्स के रूप में भर्ती में महत्व देना; आदि है।

संघर्ष अवधि के दौरान राज्य के सीटू और सर्व कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने जिलों में संघर्ष के आयोजन के लिए दौरे किए; संघर्ष की समीक्षा, समन्वय और मार्गदर्शन करने के लिए सीटू की राज्य समिति की दो बार मीटिंग की गयी; एडवा, ए.आई.डी.डब्ल्यू.यू., डी.वाई.एफ.आई. और एस.एफ.आई. की राज्य इकाइयों ने भी एकजुटता और समर्थन किया।

हड़ताल और आंदोलन तोड़ने के भाजपा सरकार और बीएमएस के प्रयासों के बावजूद भी आशा वर्कर्स मजबूती से डटे रहे। इस संघर्ष के कारण यूनियन के संगठनात्मक आधार का विस्तार हुआ है और सदस्यता में वृद्धि हुई। सीटू पर मजदूरों का विश्वास बढ़ा है। 2 फरवरी को रोहतक में विजय समारोह के दौरान लगभग 400 आशा वर्कर्स ने उसी जगह पर चन्दा संग्रह किया और सीटू रोहतक जिला समिति को दान दिया।

– जय भगवान

कर्नाटक

मिड डे मील मजदूरों का जुझारु संघर्ष और उपलब्धि

अपनी यूनियन – सीटू के कर्नाटक अक्षरा दशोहा नोकरारा संस्था के बैनर के तहत 28 जिलों से आने वाले 12,000 से अधिक मिड डे मील (एमडीएम) मजदूरों ने 8 फरवरी से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पारिश्रमिक में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लाभ की मांग को लेकर राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन बैठकी का आयोजन किया। उन्होंने राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के निवास पर भी प्रदर्शन किया और उन्हें प्रदर्शनकारियों से मिलने और उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन देने के लिए मजबूर किया।

यूनियन के नेताओं ने घोषणा की कि वे भूख हड़ताल के द्वारा संघर्ष को तेज करेंगे। अगले दिन, 9 फरवरी को, मुख्यमंत्री ने चर्चा के लिए यूनियन को आमंत्रित किया और 16 फरवरी को पेश होने वाले राज्य के बजट आबंटन के माध्यम से उनका पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के सहयोग से एमडीएम मजदूरों के लिए एक पेंशन योजना तैयार करने के लिए भी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह एसएमसी समितियों द्वारा मनमाने फैसलों, उत्पीड़न और आनन–फानन में बर्खास्तगी को समाप्त करने के लिए, एमडीएम मजदूरों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्व जांच और प्रक्रियाओं के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करने पर भी सहमती दी है। इस आधार पर, आंदोलन वापस ले लिया गया था।

आश्वासन के अनुसार, 1 जनवरी 2018 से एमडीएम मजदूरों को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2,700 रुपये प्रति माह के कुल पारिश्रमिक में 500 रुपये की वृद्धि मिली।

उनके राष्ट्रीय महासंघ एम.डी.एम.डब्ल्यू.एफ.आई. और सीटू कर्नाटक राज्य समिति ने उनकी उपलब्धि के लिए यूनियन और मजदूरों को बधाई दी है।

मध्य प्रदेश

भोपाल में आशा मजदूरों का पड़ाव

सीटू की आशा–उषा, आशा सहयोगिनी एकता यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों आशा, उषा और आशा फैसिलिटेटर्स, भोपाल में नीलम पार्क में इकट्ठा हुए और एक पड़ाव आयोजित करते हुए बैठक में मजदूरी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदि की सभी लंबित मांगों और सभी बकाया मजदूरी के भुगतान के बारे में जो राज्य में जुड़कर करोड़ों रुपए हो गया है।

बैठक को सीटू के राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान, यूनियन के राज्य महासचिव कमलेश शर्मा और अन्य ने संबोधित किया था। यूनियन के अध्यक्ष ए टी पद्मनाभन ने बैठक की अध्यक्षता की थी।

इसके बाद मजदूर राज्य विधानसभा की ओर चले गए। पुलिस ने रास्ते को बाधित करके उनके मार्च को रोक दिया। प्रशासनिक अधिकारी ने उसी जगह आकर मुख्यमंत्री की ओर से ज्ञापन प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य के संयुक्त निदेशक भी स्थल पर आए और एन.एच.एम. की ओर से ज्ञापन प्राप्त किए। यूनियन ने अधिकारियों के माध्यम से सरकार को मांगों का 12 सूत्रीय चार्टर सरकार को पेश किया है। दोनों अधिकारियों ने मजदूरों की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो यूनियन ने 17 मार्च 2018 को एक दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है,

तेलंगाना

आँगनवाड़ी यूनियन का द्वितीय सम्मेलन

सीटू की तेलंगाना स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन (टी.एस.ए.डब्ल्यू.एच.) का दूसरा सम्मेलन 18 फरवरी को निजामाबाद में एक रैली और जन सभा आयोजित करने के साथ शुरू हुआ। बैठक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए, सीटू के राष्ट्रीय सचिव और इसके आंगनवाडी फेडरेशन ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के महासचिव ए आर सिंधु ने बताया कि कैसे मोदी सरकार कदम दर कदम आईसीडीएस को समाप्त कर रही है और आंगनवाडी कर्मचारियों, ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. और सीटू द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है; और उन्होंने कहा कि योजनाकर्मियों के मामले में 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मांग को लेकर मानसून सत्र के दौरान ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. द्वारा आयोजित संसद के समक्ष महापड़ाव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आने का आह्वान् किया। अपने संबोधन में, सीटू तेलंगाना राज्य के महासचिव एम. साईबाबु ने बताया कि किस प्रकार राज्य में केसीआर सरकार की नीति केंद्र में भाजपा सरकार के समान ही हैं। टी.एस.ए.डब्ल्यू.एच. के महासचिव पी जयलक्ष्मी ने मजदूरों को दमनकारी टीएसआर सरकार के आदेशों – जी.ओ. 14 और 19 का विरोध करने – आनन–फानन में बर्खास्तगी और न्यूनतम मजदूरी और पेंशन के लिए संघर्ष को तेज करने का आह्वान् किया। बैठक को सीटू निजामाबाद जिले के रमेश बाबू ने भी संबोधित किया था और मीटिंग यूनियन के अध्यक्ष एम. पद्मा की अध्यक्षता में हुई।

प्रतिनिधि सत्र में, जयलक्ष्मी ने महासचिव की 3 साल की रिपोर्ट में बताया था कि किस प्रकार केसीआर सरकार, नौकरशाही और स्थानीय टीआरएस नेताओं ने सीटू यूनियन को बाधित करने और कठपुतली यूनियन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। टीआरएस विधायकों और उनके नेताओं के दमन के खतरे के बावजूद,यूनियन के नेता और कार्यकर्ता, कर्मचारी सीटू के साथ ही बने रहे हैं। अब टीआरएस सरकार पूरक पोषण को एक परियोजना के तहम अक्षयपात्र को सौंप रही है।

26 प्रतिनिधियों ने महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। रिपोर्ट और खातों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन में 69 सदस्यीय राज्य समिति और सीएच. भारती को मानद अध्यक्ष, एम. पद्मा को अध्यक्ष और पी जयलक्ष्मी को महासचिव के रूप में के साथ 31 पदाधिकारी चुने गए।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सिंधु ने ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के सम्मेलन के कार्यों के आधार पर अवलोकन किया; कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एम. साईबाबू और ए.पी. राज्य आंगनवाड़ी मजदूरों और हेल्पर्स यूनियन के महासचिव के. सुब्बारावम्मा, सीटू के सचिव पी भास्कर ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस सम्मेलन में निजामाबाद में किसान सभा के भूमि संघर्ष में भाग लेने के लिए पीड़ित के. जमुना को सम्मानित किया गया।

आन्ध्र प्रदेश

विजाग स्टील प्लांट

'मान्यता प्राप्त यूनियन' के चुनाव में सीटू की जीत

निजीकरण के खिलाफ मजदूरों का जनमत संग्रह

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट (वीएसपी) में यूनियन की मान्यता के लिए गुप्त मतदान के माध्यम से 5 फरवरी को चुनाव कराए गए; सीटू से संबद्ध स्टील प्लांट एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी

और मान्यता प्राप्त इन्टक से संबद्ध विशाखा स्टील कर्मचारी कांग्रेस को हराया, त्रिकोणीय मुकाबले में एटक से संबद्ध विशाखा स्टील वर्कर्स यूनियन ने तीसरा स्थान हासिल किया।

वीएसपी में कुल श्रमशक्ति 17,543 है। मतदाताओं की सूची के अनुसार कुल पात्र मतदाताओं के रूप में 11,544 मजदूरों में से उच्चतम् 96.3% ने अपना मत का प्रयोग किया। चुनाव लड़ रही कुल 12 यूनियनों में से सीटू यूनियन ने 3,784 इन्टक यूनियन ने 3,586 और एटक यूनियन ने 3,234 मत हासिल किए हैं।

वीएसपी में यह यूनियन की मान्यता के लिए वोट था। लेकिन, यह आर.आई.एन.एल. के 10% शेयर बाजार में बेचने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक मजदूरों का जनमत संग्रह भी था। केंद्र में भाजपा और राज्य में टीडीपी के दोनों सत्तारूढ़ दलों के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बावजूद – उनकी यूनियनों को मजदूरों ने पूरी तरह से नकार दिया और बी.एम.एस. ने केवल 206 और टीडीपी की टी.एन.टी.यू.सी. ने 126 मत हासिल करके अपमानजनक हार का सामना किया।

केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विघटन और निजीकरण के अभियान के खिलाफ और सार्वजनिक क्षेत्र के बचाव में विशाखापट्टनम के मजदूरों के एकजुट संघर्ष के आयोजन में, वीएसपी की सीटू यूनियन सहित सीटू ने अगुवाई की है। यह ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया की स्ट्रेटेजिक सेल के खिलाफ, विशाखापत्तनम में हाल ही में हुए 'जनमत संग्रह' में एक लाख से अधिक मजदूरों और आम जनता की भागीदारी में प्रतिबिंबित हुई थी।

राजस्थान

मजदूर वर्ग के आन्दोलन के शहीदों की याद

24 फरवरी को, 20 को 25 वर्ष की आयु के बीच 8 युवा कार्यकर्ताओं की याद में कोटा में जेके सिंथेटिक कंपनी के द्वार के बाहर एक स्मरण बैठक आयोजित की गई, जो 24 फरवरी 1971 को देश में मजदूर वर्ग आंदोलन में शहीद हो गए थे, जब बोनस सीमा को हटाने की मांग करने वाले मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस की राज्य सरकार और मिल मालिक के इशारे पर पुलिस ने गोलीबारी की थी।

स्मरण बैठक में लंबे समय से बंद जे के सिंथेटिक कंपनी के मजदूरों और शहीदों के परिवारों के सदस्यों ने भाग लिया। सीटू के राज्य सचिव भंवर सिंह शेखावत ने शहीदों को सम्मानित श्रद्धांजलि अर्पित किया और अब 24 साल के लंबे अरसे से बंद कारखाने के मजदूरों की लंबित मांगों पर संघर्ष को तेज करने के लिए मजदूरों का आह्वान् किया। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और स्मरण बैठक को संबोधित करने वाले अन्य में स्थानीय यूनियन के सभी नेता, सीपीआई (एम) जिला सचिव दुलीचंद और एस.एफ. आई. और एडवा के नेता शामिल थे।

मजदूर - किसान एकजुटता दिवस

समूचे देश में विभिन्न राज्यों में मजदूर–किसान एकजुटता दिवस मनाया गया। इस संबंध में, प्रेस में जाने तक सीटू केन्द्र में प्राप्त रिपोर्टे यहाँ दी जा रही हैं।

केरल

केरल में सभी जिलों में 19 जनवरी को सीटू, किसान सभा व खेत मजदूर यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में एकजुटता दिवस मनाया गया तथा मूल्य वृद्धि रोकने, राशन प्रणाली के सार्वभैमिकीकरण व आवश्यक वस्तुओं के वायदा कारोबार को प्रतिबंधित करने; स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनूसार किसानों को लाभकारी मूल्य व गरीब किसानों व खेतमजदूरों के लिए विस्तृत कानून बनाने; सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को लागू किये जाने; शहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इस कानून में संशोधन करने; व सभी के लिए खाद्य सुरक्षा आदि की माँगे उठायीं। *(योगदान : ई. करीम)*

आंध्रप्रदेश

19 जनवरी को मजदूरों किसानों के गठबंधन का कार्यक्रम राज्य में किया गया जिसमें 21 केन्द्रों पर लगभग 3000 मजदूरों, किसानों व खेतमजदूरों ने भाग लिया। सीटू, खेतमजदूर यूनियन, किसान सभा, आंध्रप्रदेश कोलु रायतु संगम के राज्य नेतृत्व ने मिलकर अभियान के लिए एक संयुक्त परचा जारी किया; एक को छोड़कर सभी जिला कलेक्ट्रेटों पर धरने दिये गये और ज्ञापन सौंपे गये। 6 जिला मुख्यालयों पर धरने दिये गये व मशाल जुलूस भी निकाले गये।

विशाखा सीटू सिटी कमेटी ने 19 जनवरी को एक मशाल जुलूस आयोजित किया और मजदूरों को न्यूनतम 18000 रूपये वेतन; किसानों को न्यूनतम समर्थन मुल्य व कर्जमाफी; मनरेगा के तहत प्रति दिन 500 रूपये वेतन के साथ 200 दिन का काम; भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को वापस लिए जाने व राशन व्यवस्था को मजबूत किये जाने आदि की माँग थी। एल आइ सी कार्यालय के पास अम्बेडकर की प्रतिमा से जी वी एम सी के पास गांधी प्रतिमा तक मशाल जुलूस निकाला गया। रैली को सीटू के राज्य अध्यक्ष सी एच नरसिंगाराव ने संबोधित किया व अन्य सीटू नेताओं, आर के एस वी कुमार, पी वेंकट रेड्डी, वाई राजू, पी मणि, अपाला राजू व अन्य ने उसमें भागेदारी की। *(योगदान : आर के एस वी कुमार)*

राजस्थान

भाजपा सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए किसानों को गिरफ्तार किया

अखिल भारतीय किसान सभा (ए आइ के एस) व अन्य किसान संगठनों के आहवान पर 22 फरवरी को राज्य विधान सभा के सामने होने वाले राज्य स्तरीय किसान महापड़ाव को रोकने के लिए; भाजपा की वसुंधरा रोज सरकार की पुलिस ने राज्य भर में सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। गिरफ्तार किये गये नेताओं में किसान नेता पेमाराम व अन्य शामिल हैं। इन नेताओं को तब गिरफ्तार किया गया जब वे अलग–अलग जगहों से राज्य की राजधानी जयपुर में होने वाले महापड़ाव में इाने वाले किसानों के जत्थों को नेतृत्व कर रहे थे।

इन गिरफ्तारियों व आंदोलन को दबाने की कोशिशों के खिलाफ सभा ने अगले दिन खंड स्तरीय जन–विरोध आयोजित किया व मुख्यमंत्री के पुतले जलाये। सीकर में बंद रखा गया; व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए दुकानें बंद रखीं। इस विरोध के दौरान भी पुलिस ने कई सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया। किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने

इस हमले को उन किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश बताया जो अपनी पैदावार के लिए वाजिब दाम की माँग कर रहे हैं।

22 फरवरी को जारी एक बयान में सीटू राष्ट्रीय अध्यक्ष के हेमलता ने राजस्थान में किसानों के जायज व शांतिपूर्ण आंदोलन पर राज्य की भाजपा सरकार के हमले की निंदा की और गिरफ्तार किसानों को तुरन्त रिहा किये जाने की माँग की। उन्होंने राजस्थान के संधर्षरत किसानों का समर्थन करते हुए उन्हें बधाई दी और सीटू इकाईयों व मजदूरों से एकजुटता कार्रवाईयों का आहवान किया।

किसानों का यह महापड़ाव, राज्य की वसुंधरा राजे सरकार के उस विश्वासधात के खिलाफ रखा गया जो उसने सितम्बर में किसान सभा के नेतृत्व में किसानों के मुद्दों पर 11 सूत्री मांगपत्र को लेकर हुए राज्यव्यापी आंदोलन में किसानों से 13 सितम्बर को 50,000 रूपये तक के कर्ज को माफ किये जाने के लिखित समझौते के रूप किया मगर पूरा नहीं किया।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों पर हमला

भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा की गयी पड़ताल

भूमि अधिकार आंदोलन की एक तथ्य पड़ताल टीम ने गौ–रक्षा; मुठभेड़ हत्याओं के नाम पर तथा जानबूझकर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण व राज्य में मुसलमानों पर हो रहे हमलों तथा पीट–पीट कर मार डालने की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में 6–7 जनवरी, 2018 को राजस्थान के भरतपुर अलवर, राजसमंद व उदयपुर का दौरा किया।

भरतपुर व अलवर

भरतपुर जिले के घटमीका गाँव का दौरा करने वाला बी ए ए का प्रतिनिधिमंडल उमर खान के परिवार से मिला जिसकी गाय आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जाँच टीम ने पाया कि गांव के सारे परिवार दूध के उत्पादन में लगे थे और सभी ने गायें भैंसे व बकरियां पाली हुई थीं जिससे लोगों का जीविकोपालन होता है। लोगों, समुदाय के बड़ो व पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियाँ के साथ बातचीत में, टीम ने पाया कि समूचे मेवात क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय को अपराधी करार देने की एक सुनियोजित कोशिश हो रही है। पुलिस महकमें के कुछ लोग साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ मिलकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपराधी करार देने में लगे हैं जो ब्रिटिश जमाने में कुछ खास जनजातियों को अपराधी ठहराये जाने जैसा है।

अलवर जहाँ दुध उत्पादक किसानों की हत्याओं की घटनाये बार–बार हुई हैं, के उच्च राजस्व व पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में टीम ने पाया कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत पूर्वाग्रह, पक्षपात व धार्मिक रूप से चिहिन्त करने के चलते दुग्धपालक किसानों के खिलाफ गाय चोरी के कितने ही झूठे मामले बनाये गये हैं और उनका उत्पीड़न किया गया है। अलवर के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक का रवैया असंवेदनशील था बौर वे 'गौरक्षकों' की ही कहानी कह रहे थे। टीम के दौरे के एक दिन पूर्व ही उमरखान की हत्या में शामिल बाकी चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। तथापि, इसी मामले में गाय–स्मगलिंग के नाम पर गिरफ्तार ताहिर व जावेद को बिना जमानत दिये जेल में ठूंसे रखा गया है। अलवर में, फर्जी मुडभेड में मार दिये गये 22 वर्षीय तलीम के परिवार ने टीम से मिलने पर बताया कि किस प्रकार उसे नजदीक से गोली मारी गयी तथा घटना के इतने दिन बाद भी कोई एफ आइ आर दर्ज नहीं की गयी। क्षेत्र में 'गौरक्षा पुलिस चौकियों' की श्रृंखला भी इन गौ–रक्षक समूहों के साथ मिली हुई है।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	uoEcj 2017	fnlEcj 2017
vk/k inz'k	x.Vj	282	281
	gnjkckn	253	251
	fo'kk[kkiÝkue	288	287
	okjxy	292	290
vle	MeMek fruf[k;k	267	261
	xokgkVh	254	251
	ycd flYpj	261	261
	efj;kuh tkjgkV	249	245
	jxkikjk rsrtiqj	248	244
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	306	301
p.Mhx<	p.Mhx<	281	279
NÝkhlx<	fHkykbZ	315	313
fnYyh	fnYyh	264	263
Xkkvk	xkvk	297	293
Xqtjkr	vgenkckn	273	271
	Hkkouxj	269	268
	jktdkV	275	273
	lwjr	266	269
	oMknjk	270	259
gfj;k.kk	Qjhnkckn	263	275
	;euk uxj	277	259
fgekpy	fgekpy çns'k	260	271
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	268	283
>kj[k.M	ckdkjks	284	308
	fxfjMhg	312	331
	te'kniqj	338	318
	>fj;k	314	327
	dkMek	332	329
	jkph gfV;k	331	296
dukVd	cyxke	288	287
	cxykj	307	305
	gcyh /kkjokM	305	302
	ejdjk	301	302
	esyqj	298	297
djy	,.kkdqye@vyobZ	304	301
	eS.MkD;ke	331	331
	fDoyku	285	284
e/; çns'k	Hkkikky	296	293
	fNUnokMk	263	261
	bUnkj	285	281
	tcyiqj		

jkT;	dsn	uoEcj 2017	fnlEcj 2017
egjk"V	eEcbZ	295	293
	ukxiqj	317	316
	ukfld	295	295
	iq.kZ	279	279
	'kkykiqj	301	298
mMhlk	vkxx&rkypj	307	304
	jkmjdqyk	315	310
ikfMpfj	ikfMpfj	311	313
iatkc	verlj	285	287
	tkyU/kj	289	288
	ywf/k;kuk	279	277
jktLFkku	vtesj	263	262
	HkhyokMk	282	280
	t;iqj	273	271
rfeyukMq	pUuS	270	268
	dk;EcVwj	272	267
	dUuwj	286	284
	enqjkbZ	279	284
	lqye	296	275
	fr#pjkiYyh	286	289
f=iqjk	f=iqjk	279	293
mÝkj çns'k	vkxjk	296	265
	xkft;kckn	269	309
	dkuiqj	311	285
	y[kuÅ	292	292
	okjk.klh	279	275
if'pe cxky	vklulky	285	283
	nkftfyx	308	309
	nxkiqj	265	273
	gfYn;k	315	313
	gkoMk	317	315
	tkyikbZxMh	276	271
	dkydkrk	284	278
	jkuhxat	273	269
	flyhxMh	259	257
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		274	268
		287	286

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

योजना मजदूरों के राज्यव्यापी संघर्ष

हरियाणा *(रिपोर्ट पृ० 20)*

कर्नाटक *(रिपोर्ट पृ० 21)*

घोटालेबाज नीरव मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ

(गोले में)

पी एन बी का घोटालेबाज और भगोड़ा नीरव मोदी डावोस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/03/2018)

19 जनवरी : मजदूरों–किसानों का एकजुटता दिवस

(रिर्पोट पृ० 24)

आंध्रप्रदेश

पंजाब

केरल

राजस्थान में किसानों का आंदोलन

(रिपोर्ट पृ० 24)

सीकर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को रोककर बैठे किसान

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**